निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 40/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बिरदू पुत्र नानगराम जाति जाट निवासी ग्राम घटवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. हल्का पटवारी ग्राम बिलौंची श्री बोदूराम जाट ।
2. सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर विभाग, आमेर ।
3. मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला जयपुर ग्रामीण ।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चंदवाजी ।
5. तहसीलदार आमेर जिला जयपुर।
6. रामनाथ पुत्र नानगा जाति जाट निवासी ग्राम घटवाडा, तहसील आमेर, जिला जयपुर ।
7. उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2019 ब उनवानी बिरदू बनाम हल्का पटवारी बिलौंची व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 14-10-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र संख्या 4/2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि खसरा नम्बर 110 में राज्य सरकार के द्वारा जो बोरिंग लगाया गया है, वह खातेदारी की आराजी में लगाया गया है जिसे उखाडा जावे। क्योंकि उक्त बोरिंग दौराने स्थगन व प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी में किया गया है। प्रकरण दर्ज होने के बाद अप्रार्थी सख्या 1 लगायत 5 अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जबाब पेश किया गया । उभय पक्षों की साक्ष्य होने के बाद बहस सुनी जाकर दिनांक 11.04.2019 को खातेदारी आराजी में लगाये गये बोरिंग को उखाडा जाकर ग्राम पंचायत से चिन्हित करवाकर सार्वजनिक उपयोग हेतु पुनः लगाये जाने हेतु तहसीलदार आमेर एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग आमेर जिला जयपुर को लिखा जावे। आदेश की पालना हेतु उपखण्ड अधिकारी आमेर से निवेदन किया गया कि पालनार्थ तहसीलदार व अन्य पक्षकारों को तहरीर जारी हो, परन्तु पीठासीन अधिकारी द्वारा तहरीर जारी नही की गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां निर्णय दिनांक 11.04.2019 के विरूद्व केवीयट प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि अपील की सुनवाई के पूर्व प्रार्थीगण को अपील में सुनवाई का अवसर दिया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2019 को आदेश पारित करने से पूर्व उभय पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था तथा उभय पक्ष की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया था। पुनरावलोकन का किसी प्रकार का प्रकरण नहीं बनता है। उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी संख्या 6 के प्रभाव में आकर दिनांक 20.05.2019 को पूर्व में जारी आदेश 11.04.2019 की कियान्वति को स्थगित कर दी गई । अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.04.2019 को किसी प्रकार का आदेश भी पारित नहीं किया गया था केवल मात्र. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के विरूद्व ही निर्णय पारित किया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को ही आदेश दिये गये थे। पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 17.5.2019 को जब प्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता आदेश दिनांक 11.4.2019 की पालना हेतु तहरीर जारी करवाने गये तो पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि मै अप्रार्थी संख्या 6 के द्वारा इस पत्रावली में रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करने बाबत कह दिया है इसलिए मै आपको तहरीर जारी नही कर सकता । दिनांक 22.05.2019 व 23.05.2019 को अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा प्रार्थी को एलानिया धमकी दी गई कि हमने उपखण्ड अधिकारी को मंत्री जी से टेलीफोन करवा कर कहलवा दिया है तथा जब तक कांग्रेस सरकार है तक तक आप हमारा कुछ नही करवा सकते हो । न ही बोरिंग उखडवा सकते हो तथा एक माह में उपखण्ड अधिकारी के द्वारा ही दिनांक 11.04.2019 के निर्णय को खारिज करवा देंगे। दिनांक 17.05.2019 को स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को निर्णय दिनांक 11.04.2019 की पालना हेतु इंकार करना व अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा आदेश दिनांक 11.04.2019 की अपीलीय न्यायालय में अपील न कर उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष ही विलम्ब से रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करना स्थगन आदेश प्राप्त करना तथा बिना प्रार्थी को नोटिस जारी किये ही आदेश दिनांक 11.04.2019 की कियान्विति स्थगित करना यह परिस्थितियां संदेह उत्पन्न करती है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी संख्या 6 के प्रभाव में है तथा विचाराधीन प्रकरण में न्याय करना असम्भव है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पर विश्वास नहीं है कि वो प्रार्थी को न्याय देगा। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। विपक्षी संख्या 2 उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. उभयपक्ष अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध उपखण्ड अधिकारी आमेर से प्राप्त टिप्पणी का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। इसलिए इस प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया

जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। जयपुर मुख्यालय पर उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम का न्यायालय भी स्थापित है, जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकार को असुविधा भी नहीं होगी। परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

6. उपखण्ड अधिकारी आमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2019 ब उनवानी बिरदू बनाम हल्का पटवारी को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम में मुन्तकिल किया जाता है।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी आमेर एवं जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर